# न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रैट

मुकदमा नम्बर :– 05/2018 (आर.सी.एम.एस.नम्बर 2018/00014)

उनवानी प्रकरण:–

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय धौलपुर————————प्रार्थी।

बनाम

1. जगदीश पुत्र हीरालाल जाति कुम्हार निवासी कुम्हारपाडा सागरपाडा रोड टाउन पुलिस चौकी के पास धौलपुर ————————————————————अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से :– श्री अनुभव पारासर, सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
2. अप्रार्थी की ओर से :– श्री हरीबाबू गोयल अभिभाषक ।

निर्णय दिनांक 05.06.2018

## निर्णय

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि दिनांक 23.2.2018 को जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा दूरभाष पर दिये गये मौखिक निर्देशों की अनुपालना में चौकी प्रभारी पुलिस टाउन धौलपुर द्वारा अवैध केरोसीन के भण्डारण की सूचना मिलने पर प्रार्थी द्वारा मौके पर पहुॅचकर जॉच कार्यवाही की गई। मौके पर पहुॅचकर जानकी नन्दन मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस हाल चौकी प्रभारी टाउन धौलपुर से सम्पर्क किया गया। जिन्होने अवैध केरोसीन के भण्डारण बावत बताया गया। चौकी प्रभारी के बताये गये पते पर पहुॅचा तो अप्रार्थी के पास धौलपुर के मकान में अवैध केरोसीन के भण्डारण की जॉच की गयी। मकान में स्थित खाली जगह में एक प्लाष्टिक का नीला ड्रम क्षमता 220 लीटर रखा हुआ पाया गया जिसका ढक्कन खोलकर उपस्थित गवाहों एवं मकान मालिक अप्रार्थी के समक्ष केरोसीन तेल की जॉच की गई। केरोसीन का रंग नीला पाया गया जो सूॅघने एंव देखने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अनुमोदित दर पर राशनकार्डो पर वितरण के समकक्ष पाया गया। ड्रम में पाये गये केरोसीन तेल की नाप लोहे की गेज से करवायी गई तो 100 लीटर केरोसीन तेल रखा पाया गया। मौके पर केरोसीन तेल के कय विकय एवं भण्डारण के सम्बन्ध में अप्रार्थी से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जबाव नही दिया केरोसीन कार्य से सम्बन्धित कोई प्राधिकार पत्र एवं अनुज्ञा पत्र भी नहीं लिया गया है। अप्रार्थी ने पूछताछ पर यह

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

भी बताया कि उक्त केरोसीन उपभोक्ताओं से खरीदा है एवं ऊँचे दामों में अपने रिश्तेदार जो खेती करते हैं उनको विकय कर देता हूँ। उपभोक्ता / रिश्तेदार का नाम नही बताया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा केरोसीन नीला का अवैध रूप से कय विकय एवं भण्डारण कर कोई प्राधिकार पत्र एवं अनुज्ञा पत्र नहीं लिया जाकर "कैरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत, नियिंत्रण) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त आदेश का उल्लघंन किये जाने पर अप्रार्थी के कब्जे से 100 लीटर केरोसीन मय 1 ड्रम नीला जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये केरोसीन तेल में से 750–750 एम एल के 3 सैम्पल जॉच हेतु लिये गये। मौके पर जब्त किये 97.750 लीटर केरोसीन नीला मय 1 ड्रम को सुरक्षित रखने हेतु गफूर खॉ पुत्र नजीर खॉ जाति मुसलमान निवासी बटूपुरा पुराना शहर धौलपुर हाल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 22, 23, 24 शहर धौलपुर को अग्रिम आदेशों तक सुपुर्दगी में दिया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल 97.750 लीटर केरोसीन तेल नीला मय 1 ड्रम प्लाष्टिक के रंग नीला को राजसात किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उसे इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेशं करें ।

अप्रार्थी की ओर से श्री हरीबावू गोयल अभिभाषक ने अपना बकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके तथ्य इस प्रकार हैं कि दिया गया नोटिस स्वीकार नही हैं अभियोजन साक्ष्य से साबित करें कि अप्रार्थी के कब्जे से प्रतिबन्धित केरोसीन आयल जब्त किया गया है पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की है। अप्रार्थी से कोई प्रतिबन्धित केरोसीन आयॅल प्राप्त नही किया गया है। प्रकरण में वर्णित आदेश 1993 व 1976 लागू नहीं होते है। फर्दात में फेर बदल कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थी के विरूद्ध झूँठा केस बनाया गया है। बरामदा स्थान जहॉ से केरौसीन ऑयल बरामद किया है वह अप्रार्थी का मकान नहीं है। अप्रार्थी के कोरे कागज पर पुलिस की मौजूदगी में हस्ताक्षर दबाव से कराये गये है। अप्रार्थी अनपढ है। अप्रार्थी से ना तो कोई केरोसीन ऑयल जप्त किया गया है और ना ही उसका कोई सम्बन्ध बरामदा व कैरोसीन ऑयल से है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की कार्यवाही समाप्त की जावे। अप्रार्थी का कोई सम्बन्ध बरामदा व कैरोसीन ऑयल से नही है ।

प्रार्थी के अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति फर्द मौका दिनांक 23.2.2018, प्रमाणित प्रति फर्द अभिग्रहण दिनांक 23.2.2018, फर्द सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति 23.2.2018, नक्शा मौका घटना स्थल की प्रमाणित प्रति दिनांक 23.2.2018, बयान जगदीश पुत्र हीरालाल की प्रमाणित प्रति दिनांक 23.2.2018 पेश की।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के समर्थन में कोई दस्तोवज पेश नहीं किये ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने दिनांक 23.02.2018 को

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर

अप्रार्थी के पास धौलपुर के मकान में अवैध केरोसीन के भण्डारण की जॉच की गयी। मकान में स्थित खाली जगह में एक प्लास्टिक का नीला ड्रम क्षमता 220 लीटर रखा हुआ पाया गया जिसका ढक्कन खोलकर उपस्थित गवाहों एवं मकान मालिक अप्रार्थी के समक्ष केरोसीन तेल की जॉच की गई। केरोसीन का रंग नीला पाया गया जो सूँघने एवं देखने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पाया गया । ड्रम में 100 लीटर केरोसीन पाया गया। मौके पर केरोसीन तेल के कय-विकय एंव भण्डारण के सम्बन्ध में अप्रार्थी से पूछताछ की गई तो कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया केरोसीन कार्य से सम्बन्धित कोई प्राधिकार पत्र एवं अनुज्ञा पत्र भी नहीं लिया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा केरोसीन नीला का अवैध रूप से कय विकय एवं भण्डारण कर कोई प्राधिकार पत्र एवं अनुज्ञा पत्र नहीं लिया जाकर "कैरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत, नियिंत्रण) आदेश 1976 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्त शुदा माल 97.750 लीटर मय एक ड्रम प्लास्टिक क्षमता 220 लीटर को राजसात किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के कब्जे से प्रतिबन्धित केरोसीन आयल जब्त किया गया है पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अप्रार्थी से कोई प्रतिबन्धित केरोसीन आर्येल प्राप्त नहीं किया गया है। प्रकरण में वर्णित आदेश 1993 व 1976 लागू नहीं होते है। फर्द में फेर बदल कर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अप्रार्थी के विरूद्ध झूँठा केस बनाया गया है। बरामदा स्थान जहाँ से केरौसीन ऑयल बरामद किया है वह अप्रार्थी का मकान नहीं है। अप्रार्थी से ना तो कोई केरोसीन ऑयल जप्त किया गया है और ना ही उसका कोई सम्बन्ध बरामदा व कैरोसीन ऑयल से है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध की कार्यवाही समाप्त की जावे।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :-

1. यह तथ्य सही है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के मकान में अवैध केरोसीन के भण्डारण की जॉच की गयी। तो अप्रार्थी के मकान में स्थित खाली जगह में एक प्लास्टिक का नीला ड्रम क्षमता 220 लीटर रखा हुआ पाया गया जिसमें 100 लीटर नीले रंग का केरोसीन पाया गया। जो सम्भवतयाः सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रतीत होता है।
2. अप्रार्थी से जब मौके पर केरोसीन तेल के कय विकय एवं भण्डारण के सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो अप्रार्थी ने संतोषजनक जबाव नहीं दिया ।
3. अप्रार्थी के पास केरोसीन कार्य से सम्बन्धित कोई प्राधिकार पत्र एवं अनुज्ञा पत्र होना नहीं पाया गया ।
4. यह तथ्य सही है कि अप्रार्थी द्वारा नीले रंग के केरोसीन का अवैध रूप से कय विकय एवं भण्डारण कर कोई प्राधिकार पत्र एवं अनुज्ञा पत्र नहीं लिया जाकर" कैरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत, नियिंत्रण) आदेश 1976 के

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

प्रावधानों का उल्लघंन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय उपराध है ।

5. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे यह कथन किया है कि उसका जप्तशुदा 100 लीटर केरोसीन व बरामद स्थल के कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं । यदि जप्तशुदा माल राजसात कर लिया जावे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा माल 97.750 लीटर को मय बारदान एक ड्रम प्लाष्टिक क्षमता 220 लीटर को राजसात किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तशुदा माल 97 लीटर 750 मिलीलीटर नीले रंग के कैरोसिन मय 1 ड्रम प्लाष्टिक क्षमता 220 लीटर को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देश दिये जाते है. कि वे उक्त जब्तशुदा 97 लीटर 750 मिलीलीटर कैरोसिन को सुपुर्दगार से वापिस प्राप्त कर अन्य किसी उचित मूल्य दुकानदार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण करावे तथा 97 लीटर 750 मिलीलीटर केरोसिन उसके मासिक कोटे में से कम करके दिया जावे। तथा जप्तशुदा 1 ड्रम प्लाष्टिक क्षमता 220 लीटर को नियमानुसार नीलाम कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा कराई जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलपुर को भिजवायी जावे। पत्राबली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जाये।

निर्णय आज दिनॉक 05.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)